रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 35] शिमला, शनिवार, 4 जुलाई, 1987/13 आषाढ़, 1909 [संख्या 27

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	508—510 तथा 516—517
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	511
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेंशियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	511—512
भाग 4	स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	512
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन ..	513—516
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन ..	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं ..	—
—	अनुपूरक	—

4 जुलाई, 1987/13 आषाढ़, 1909 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई :–

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
No. FDS (Bricks) 86/87, dated 1st May, 1987	Food and Supplies Department	Fixing the rates (inclusive of royalty but exclusive of sales-tax) of categorised burnt bricks manufactured by brick kiln owners of Bilaspur district.
No. FDS. MND (A)(3)-4[illegible]/81-V-6768-6828, dated 19th June, 1987	Office of the District Magistrate, Mandi district, Mandi	Fixing the maximum retail sale price of certain food articles within whole of the Mandi district for a period of one month.
—	Directorate of State Lotteries	Result of 36th Draw of "Himachal Weekly Lottery" held at Shimla on 4-6-1987.
—	-do-	Result of 55th Draw of "Super Himalayan Weekly" held at Shimla on 9-6-1987.
—	-do-	Result of 32nd Draw of "Golden Super Instant Fortnightly Draw" held at Shimla on 12-6-1987.

भाग 1—वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय

NOTIFICATION

Shimla-1, the 20th June, 1987

No. HHC/GAZ/14-58/75-VII-7394.—It is hereby notified for information of the members of Himachal Pradesh Judicial Service that the 15th Departmental Examination under rule 4 of the Himachal Pradesh, Judicial Service Rules, 1973 will be held at 'Revenswood' Shimla-1 on the following dates:—

Date	*Paper/Subjects*	*Time*
August 21, 1987	Civil Law	10.00 A.M. to 1-00 P.M.
(Friday).	Criminal Law	2.00 P.M. to 5.00 P.M.
August 22, 1987	Revenue-I	10.00 A.M. to 1.00 P.M.
(Saturday).	Revenue-II	2.00 P.M. to 5.00 P.M.
August 23, 1987	Constitutional	10.00 A.M. to 1.00 P.M.
(Sunday).	Law.	
	Accounts.	2.00 P.M. to 5.00 P.M.

By order

R. L. KHURANA,
Registrar.

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 8 जून, 1987

संख्या विद्युत-छ (5)-90/86.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि ब्यास निर्माण बोर्ड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी०सी०) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः ब्यास परियोजना के लिए मौजा पंजैनन, ह० ब० नं० 24, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में ब्यास निर्माण बोर्ड (पावर विंग) डैहर-भिवानी लाईन के टावर संख्या 55 के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अत्यावश्यक है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निदेश दिया जाता है।

3. इस के अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण, भूमि अर्जन समाहर्ता, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि का रेखांक, भूमि अर्जन समाहर्ता, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : बिलासपुर तहसील : सदर

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्र बी०	क्षेत्र बि०	टावर संख्या
पंजैनन ह० ब० नं०	41/1	0	7	55
किता . .	1	0	7	

यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि ब्यास निर्माण बोर्ड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी० सी०) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः* भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि इस* प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निदेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि का रेखांक, भूमि अर्जन समाहर्ता, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

*ब्यास निर्माण बोर्ड (पावर विंग) डैहर-भिवानी लाईन के टावर संख्या 52-54 के निर्माण हेतु।

संख्या विद्युत-छ(5)-88/86.

शिमला-2, 8 जून, 1

विवरणी

जिला : बिलासपुर तहसील : सदर

मोहाल	खसरा नं०	क्षेत्र (बी०	बि०)	टावर संख्या
1	2	3	4	5
जुखाला	29/1	0	7	
	3/1	0	7	
	73/1	0	4	
	80/1	0	4	
किता . .	4	1	2	

*ब्यास निर्माण बोर्ड (पावर विंग) 400 के० वी० डैहर-भि लाईन के टावर संख्या 48, 49, 51 के निर्माण हेतु।

संख्या विद्युत-छ(5)-86/86.

शिमला-2, 8 जून, 1

बटोहली	76/1	0	6	
	55/1	0	5	49
	56/1	[illegible]	5	51
	159/24/1	0	6	
किता . .	4	1	2	

*ब्यास निर्माण बोर्ड (पावर विंग) डैहर-भिवानी लाईन के टावर संख्या 22-23 के निर्माण हेतु।

संख्या विद्युत-छ(5)84/86.

शिमला-2, 8 जून, 1987.

धार-टटोह ह० ब० नं० 112.	716	0	3	22-23

*श्याम निर्माण बोर्ड (पावर विंग) डैहर-भिवानी लाईन के टावर संख्या 58 व 60 के निर्माण हेतु ।

संख्या विद्युत-छ(5)-89/86.

शिमला-2, 11 जून, 1987.

1	2	3	4	5
कांटला	75/1	0	7	58
ह0 ब0 नं0 33.	61/1	0	8	60
किता ..	2	0	15	

*श्याम निर्माण बोर्ड (पावर विंग) डैहर-भिवानी लाईन के टावर संख्या 10 के निर्माण हेतु ।

संख्या विद्युत-छ (5)-85/86.

शिमला-2, 11 जून, 1987.

धीन कांठी	261/1	0	13	10

*श्याम निर्माण बोर्ड (पावर विंग) डैहर-भिवानी लाईन के टावर संख्या 71, 72 के निर्माण हेतु ।

संख्या विद्युत-छ(5)-93/86.

शिमला-2, 11 जून, 1987.

सैकनी	321/5/1	0	5	71
	324/1	0	2	72
	237/1	0	1	
	238/1	0	8	
किता ..	4	0	16	

*श्याम निर्माण बोर्ड (पावर विंग) डैहर-भिवानी लाईन के टावर संख्या 56, 57 के निर्माण हेतु ।

संख्या विद्युत-छ(5)-87/86.

शिमला-2, 11 जून, 1987.

बलवाड़	41/1	0	8	56
ह0 ब0 नं0 38.	85/1	0	8	57
किता ..	2	0	16	

यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत:* हेतु भूमि अर्जित करना अत्यावश्यक अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

*जिला सिरमौर में खोदरी से माजरी तक 220 के0 वी0 संचारण लाईन के निर्माण हेतु

संख्या विद्युत-छ (5) 6/87.

शिमला-2, 5 जून, 1987.

विवरणी

जिला: सिरमौर तहसील: पांवटा साहिब

मौजा	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	4
काहनू वाला	18/1	0	2
	211/149/97/28/1	0	2
	161/86/1	0	2
	185/44/1	0	1
	187/45/1	0	1
	203/64/1	0	2
प्रकालगढ़	232/62/2/1	0	4
	78/1	0	2
	30/1	0	4
	206/23/1	0	2
हरिपुर	78/1	0	2
रांहना	223/160/1	0	5
	148/1	0	2
	198/131/1	0	4
	109/1	0	2
भुल्लारनी	82/1	0	4
	363/205/112/1	0	4
	219/6/1	0	2
भ्रमर कोट	64/1	0	1
	65/1	0	2
गौंदपुर	83/2/1	0	3
	84/1	0	1
	71/1	0	2
	46/1	0	2
	136/109/42/1	0	2
	15/1	0	4
	3/1	0	4
धर्मकोट	53/1	0	2
	123/43/1	0	2
बांय कुवा	203/145/4/1	0	4
	20/1	0	5
गगुवाला	313/1	0	2
जामनी वाला	302/1	0	1
	301/1	0	2
	257/1	0	2
अजीब वाला	11/1	0	4
कुण्डियों	128/1	0	2
	171/111/1	0	2
	104/1	0	2
	103/1	0	4
	135/3/1	0	2
टोका नगला	116/1	0	4
	118/1	0	2
	83/2/1	0	2
	90/1	0	2
जोड़ कुल किता .. 45		5	14

*खोडरी से माजरी तक 220 के0 वी0 संचरण लाईन के निर्माण हेतु।

संख्या विद्युत-छ(5)-5/87

शिमला-171002, 8 जून, 1987

1	2	3	4
खोडरी माजरी	34/1	0	5
	15/1	0	2
	5/1	0	4
गोजर खईल (गोजर)	150/90/1	0	2
	151/90/1	0	2
	81/1	0	1
	165/82/1	0	1
	163/74/1	0	4
	161/66/1	0	2
	68/1	0	2
	145/59/1	0	4
	43/2/1	0	2
	113/113/1	0	4
(खईल)	141/109/1	0	2
	141/109/2	0	2
	105/99/1	0	5
भगानी (मेहरूवाला)	708/1	0	4
	714/1	0	2
	565/1	0	2
(भगानी)	533/1	0	2
	516/1	0	4
	1517/480/1	0	2
	829/1	0	2
(मिश्रपुरा)	357/1	0	2
	316/1	0	2
	1125/323/1	0	4
	268/1	0	1
	282/1	0	1
	1661/1483/1193/1	0	4
	1563/18/1	0	2
	1562/18/1	0	1
	310/1	0	1
	311/1	0	3
	322/1	0	4
दुधला	184/27/6/1	0	5
	104/40/1	0	5
बागरन	239/168/1	0	5
	162/1	0	1
	164/1	0	4
कुल किता ..	41	5	11

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 मई, 1987

सं0 क(1)-2/85-शिक्षा-ग.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव कथागु, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में राजकीय महा विद्यालय सरस्वती नगर की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि को अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू अर्जन समाहर्ता उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) रोहड़ू, उप-मण्डल रोहड़ू, जिला शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरण

जिला शिमला | तहसील: जुब्बल

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	4
कथागु	400/1	0	03
	3335/416	0	04
	4188/403	1	15
	422	0	12
	424	1	14
	427	0	13
	4187/403	0	04
	425	1	[illegible]
	404	1	[illegible]
	424	1	03
	427	0	07
	401	1	17
	402	1	14
	421	0	10
	426	6	05
	409	0	12
	410	0	16
	412	1	09
	413	1	02
	420	0	07
	429	0	13
	431	1	09
	411	1	08
	414	3	03
	415	0	07
	4393/419	0	07
	4395/423	1	02
	4397/428	0	14
	4399/432	1	08
	4336/426	0	13
	405	2	[illegible]
	408	2	19
	4394/419	0	13
	4396/423	0	17
	4400/432	2	06
	418	0	03
	4398/428	1	06
	430	1	12
	4522/4377/384	0	10
किता ..	39	48	00

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी सभायें (केन्द्रीय)
मण्डल मण्डी हि0 प्र0

कार्यालय आदेश

मण्डी, 12 जून, 1987

संख्या उ0 प0 के0 4-1/80-1069-75.—क्योंकि दी सुन्दरनगर तहसील सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ सीमित सुन्दरनगर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक संख्या 251-259, दिनांक 8-4-1980 के अन्तर्गत उक्त संघ की गिरती हुई आर्थिक दशा को देखते हुये हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 78 के अधीन विघटन में रखा था ; और बाद आर्थिक दशा में सुधार में प्रगती न होने के कारण पुनः इस का विघटन कार्यकाल इस कार्यालय के आदेश क्रमांक उ0 प0 के0 4-1/85-1138-40, दिनांक 14 अगस्त, 1985 के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का आदेश दिया गया था जिस की अब पुनः विघटक के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि सभा के विघटन कार्य को पूर्ण करने तथा बैंक की ऋण की अदायगी जो वसूलीयों पर निर्भर कर रही है, में कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

अतः मैं, टी0 टी0 ठाकुर, उप-पंजीयक सहकारी सभायें (केन्द्रीय) मण्डल मण्डी, हि0 प्र0 सहकारी नियम, 1971 के रूल 117 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी सुन्दर नगर तहसील सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ के विघटन की अवधि को 31-12-1987 तक बढ़ाने का आदेश देता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि विघटक इस संघ को शीघ्र पुनर्जीवित करने हेतु शीघ्र ठोस कदम उठायें।

टी0 टी0 ठाकुर,
उप-पंजीयक सहकारी सभायें (केन्द्रीय),
मण्डल मण्डी, हि0 प्र0।

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मई, 1987

संख्या कोप0 ई (11) 21/74-IV.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कोआप्रेटिव सोसाईटीज एक्ट, 1968 (1969 का 3) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश कोआप्रेटिव सोसाइटीज रूल्ज, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और ये उक्त अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित जन-साधारण एवं उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं जिन को उन से प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर सम्यक रूप से विचार किया जायेगा।

आक्षेप/सुझाव यदि कोई हों, सचिव (सहकारिता), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे जा सकते हैं। इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, उक्त संशोधन प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप/सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, राज्य सरकार प्रारूप को अन्तिम रूप देने में उन पर विचार करेगी।

1. *Short title and commencement.* —1. These rules may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Rules, 1987.

(2) These shall come into force at once.

2. *Amendment of rule* 38. —For the existing sub-rule (3) of rule 38 of the Himachal Pradesh Co-operative Socie-Societies Rules, 1971, the following sub-rule (3) shall be substituted, namely:—

"(3) The term of the managing committees constituted under sub-rule (1) shall be

(*a*) in relation to primary societies ..2 years;
(*b*) in relation to secondary societies ..3 years; and
(*c*) in relation to apex societies ..4 years:

Provided that the out-going managing committee shall, unless the State Government otherwise directs, continue to function till another managing committee is constituted under these rules;

Provided further that no person shall be eligible to hold office of President or Vice-President or elected Member of the managing committee continuously for more than two terms, unless a period of two years has elapsed after the expiry of the term of the managing committee in which he last held office of President or Vice-President or elected member".

[*Athoritative English text of Government notification No. Co-op. E(11)21/74-IV, dated 20-5-87, is hereby published as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th May, 1987

No. CO-OP-E(11)21/74-IV.—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following amendments in the Himachal Pradesh Co-oprative Societies Rules, 1971 and the same are hereby published for information of general public and of persons likely to be affected thereby, as required by sub-section (1) of section 109 of the said Act. The notice is hereby given that the said draft amendments will be taken into consideration, on the expiry of thirty days from its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

The objections/suggestions, if any, may be addressed to the Secretary (Co-operation) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002. Any objections/suggestions, which may be received from any person, with respect to the said amandments before the expiry of the period specified above, shall be duly considered by the State Government.

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Rules, 1987.

2. These shall come into force at once.

2. *Amendment of rule* 38. —For the existing sub-rule (3) of rule 38 of the Himachal Pradesh Co-operative societies Rules, 1971, the following sub-rule (3) shall be substituted, namely:—

"(3) The term of the managing committees constituted under sub-rule (1) shall be—

(*a*) in relation to primary societ es .. 2 years;
(*b*) in relation to secondary societies .. 3 years; and
(*c*) in relation to apex socteties .. 4 years:

Provided that the out-going managing committee shall, unless the State Government otherwise directs, continue to function till another managing committee is constituted under these rules:

Provided further that no person shall be eligible to hold office of President or Vice-President or elected Member of the managing committee continuously for more than two terms, unless a period of two years has elapsed after the expiry of the term of the managing committee in which he last held office of President or Vice-President or elected member."

By order,
S. S. SIDHU,
Secretary.

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 अप्रैल, 1987

संख्या 6)-15/84 शिक्षा-क —हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश शिक्षा वर्ग-3 (कालेज कैडर सेवा नियम, 1973) में और आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Education Class III (College Cadre) Service (First Amendment) Rules, 1987.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure.*—For entries in columns 7, 8, 10, 11 and 12 against serial No. 7 relating to the post of Junior Lecturer Assistant/Laboratory Assistant, in Annexure to the Himachal Pradesh Education Class III (College Cadre) Service Rules, 1973, the following entries columns 7, 8, 10, 11 & 12 respectively shall be substituted, namely:—

Column 7:	Essential: 10+2 or its equivalent from a recognised Board University with Science in Matriculation.
Column 8:	No
Column 10:	50% by promotion and 50% by direct recruitment.
Column 11:	50% by promotion from amongst Laboratory attendants having passed Matriculation in Science with five years service (including *ad hoc* service rendered up to 31-21-1983) in the grade.
Column 12:	As may be constituted by the Government from time to time.

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Kha* (6) 15/84-*Shiksha-Ka, dated* 18-4-87 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla-2, the 18*th April,* 1987

No. Kha (6)-15/84-Shiksha-Ka.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Education Class III (College Cadre) Service Rules, 1973, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These may be called the Himachal Pradesh Education Class III (College Cadre) Service (First Amendment) Rules, 1987.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure.*—For entries in columns 7, 8, 10, 11 and 12 against serial No. 7 relating to the post of Junior Lecturer Assistant/Laboratory Assistant, in Annexure to the Himachal Pradesh Education Class III (College Cadre) Service Rules, 1973, the following entries columns 7, 8, 10, 11 & 12 respectively shall be substituted, namely:—

Column 7:	*Essential*, 10+2 or its equivalent from a recognised Board/ University with Science in Matriculation.
Column 8:	No
Colume 10:	50% by promotion and 50% by direct recruitment.
Column 11:	50% by promotion from amongst Laboratory, Attendants having passed Matriculation in Science with five years service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the grade.
Column 12:	As may be constituted by the Government from time to time.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और डाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 18*th June,* 1987

No. PCH-HP (2)-1/83.—Note No. 1 under Rule 6 (Annexure-I) of the Recruitment and Promotion Rules for the post of District Audit Officer, Instructor, Editor-*cum*-Panchayat Information Officer, Driver and Machine Operator issued *vide* this Department Notification of even number, dated the 28th February, 1987 shall be *substituted* with the following:—

The crucial date for determining the age limit should be the first day of the year in which the posts are advertised for inviting applications or notified to Employment Exchanges as the case may be."

The following shall be *inserted* after "consultation" (5th line of Rule-17) of the Recruitment and Promotion Rules, for the post of District Audit Officer, Instructor, Editor-*cum*-Panchayat Information Officer, Driver and Machine Operator issued *vide* notification of even number, dated the 28th February, 1987:—

"with the H. P. Public Service Commission relax any of the provisions of these rules."

By order,
Sd/-
Secretary.

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri M. R. Chauhan, Senior Sub-Judge exercising the powers of District Judge under Indian Succession Act, District Kinnaur at Kalpa

Parveen Chand s/o Bhim Sain, r/o Village Ribba, Tehsil Moorang, District Kinnaur, H. P. ..Petitioner.

Versus

General public ..Respondent.

Petition u/s 372 of Indian Succession Act, 1925

To
General public.

Whereas the petitioner above named has filed an application for the grant of Succession Certificate in respect of the estate of his father late Shri Bhim Sain.

Notice is hereby given to the general public and the next of the kins of deceased Bhim Sain inviting objections, if any, from them to be filed in the court on or before 9-7-87 at 10 A. M. failing which the petition shall be heard and decided *ex parte*.

Given under my hand and seal of the court this 11th day of June, 1987.

Seal. M. R. CHAUHAN,
Senior Sub-Judge,
Kinnaur district at Kalpa.

HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION NEW HIMRUS BUILDING, CIRCULAR ROAD, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-1, the 11th May, 1987

No. **HPFC/2-139/87-VI.**—It is hereby notified for information of the shareholders of this Corporation that in the 14th Special General Meeting of the Corporation held at Shimla on Monday, the 11th May, 1987, the following election took place—

Shri Jagdish Ram Thakua, Director, The Kangra Central Co-operative Bank Ltd., r/o Gagret, Tehsil Amb, District Una was elected as Director on the Board of this Corporation to represent Co-operative Banks who are Shareholders of the Corporation in terms of section 10a of the State Financial Corporations Act, 1951.

K. K. JOSHEE,
Secretary.

ब अदालत श्री हरि सिंह, आयुक्त, शिमला मण्डल, शिमला

मुकद्दमा रैवेन्यु अपील नम्बर 28/87

मु० शारवती बेवा गंगा राम, जात राजपूत, सकना अमरोआ, परगना गेहड़वीं तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ..वादी।

बनाम

राम लाल, देस राज पिसरान गोबिन्द राम, जात राजपूत, सकना अमरोआ, परगना गेहड़वीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ..प्रतिवादी।

रैवेन्यु रविजन जेर धारा 17 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश, दिनांक 14-10-1986, ए० कुलैक्टर, सब-डिवीजन घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी नं० 1 श्री राम लाल पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी अमरोआ, परगना गेहड़वीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि० प्र० को समन भेजे गए थे, परन्तु समन बार-बार अदम तामील वापिस आ जाते हैं जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिवादी समन लेने से जानबूझ कर आनाकानी कर रहा है। अतः अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी साधारण तरीके से हाजिर करवाना कठिन है।

अतः इस इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी० पी० सी० के अन्तर्गत प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा में तारीख 10 जुलाई, 1987 को प्रातः 10 बजे स्थान घुमारवीं में असालतन या वकालतन या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा हाजिर आवें अन्यथा कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी और उक्त मुकदमें का निर्णय किया जावेगा।

आज दिनांक 17-6-1987 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरि सिंह,
आयुक्त।

बअदालत जनाब श्री लक्ष्मी दत्त, नायब-तहसीलदार व अख्तयारात सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर

मुकदमा नं० 6 आफ 26-3-87

श्री रणबीर सिंह पुत्र स्व० कमाल सिंह, वासी अणुकला, तप्पा बजूरी, तहसील व जिला हमीरपुर ..सायल।

बनाम

आम जनता ..मसूलअलहम।

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 बराये तस्दीक करने वसीयत नामा मुतवफी श्रीमती ज्ञान देवी बेवा कमाल सिंह पुत्र राम सिंह, वासी अणुकला, तप्पा बजूरी, तहसील व जिला हमीरपुर।
वसीयत नामा दिनांक 2-11-1986.

नोटिस बनाम : आम जनता।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वसीयत नामा को जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने में कोई उजर हो तो अदालत हजा में दिनांक 10-7-87 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर आवें। बसूरत दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11-6-87 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लक्ष्मी दत्त,
सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर।

बअदालत जनाब श्री लक्ष्मी दत्त, नायब-तहसीलदार व अख्तयारात सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर

मुकदमा नं० 11 आफ 14-5-87

श्रीमती सागरा देवी बेवा दीना नाथ, वासी कुठेड़ा, तप्पा कुठेड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर ..सायला।

बनाम

आम जनता ..मसूलअलहम।

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 बराए तस्दीक करने वसीयत नामा दिनांक 15-3-87 मुतवफी श्री दीना नाथ पुत्र सन्त राम, वासी कुठेड़ा, तप्पा कुठेड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर।

नोटिस बनाम आम जनता

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वसीयतनामा को रजिस्टर्ड करने में कोई उजर/एतराज हो तो अदालत हजा में दिनांक 10-7-87 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर आवे। बसूरत दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11-6-87 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लक्ष्मी दत्त,
सब-रजिस्ट्रार,
हमीरपुर।

PROCLAMATION UNDER ORDER 5 RULE 20, C.P.C.

In the Court of Shri P. C. Sharma, Sub-Judge Ist Class, Rampur Bushahr, District Shimla, H. P.

Civil Suit No. 119-1 of 1986

Smt. Satya Kumari daughter of Shri Boli Ram, r/o Village Sanatsa, Tehsil Rampur Bushahr Distt. Shimla, H. P. . . Plaintiff.

Versus

Shri Goverdhan Dass s/o Shri Bishan Dass, r/o village Sanarsa, Tehsil Rampur Bsr. District Shimla, H. P. . . Defendant.

Suit for Declaration

To

Shri Goverdhan Dass s/o Shri Bishan Dass, r/o Village Sanarsa, Tehsil Rampur Bsr. H. P.

Whereas in the above noted suit, it has been proved to the satisfaction of this court that the defendant above named are evading the service of the summons and they cannot be served in the normal course of service.

Hence, this proclamation is hereby issued against you to appear in this court on 15-7-1987 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the suit failing which an *ex parte* proceeding will be taken against you.

Given under my hand and the seal of the court today the 16th June, 1987.

Seal.

P. C. SHARMA,
Sub-Judge 1st Class,
Rampur Bushahr,
Distt. Shimla, H. P.

In the Court of Shri R. L. Sharma, Additional District Judge, Solan and Sirmaur districts at Nahan, H. P.

Petition No. 15-N/2 of 1987.

1. Smt. Tarawati wd/o Shri Phool Chand son of Shri Narata Ram, r/o Village Taruwala, Tehsil Paonta, District Sirmaur, H. P. and others . . Petitioners.

Versus

General public . . Respondents.

Application Under section 372 of Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate.

To

The general public.

Whereas in the above noted case the petitioners have moved an application for obtaining Succession Certificate under section 372 of Indian Succession Act, in respect of the amounts deposited in the State Bank of India, Branch Taruwala, Tehsil Paonta in the name of late Shri Phool Chand son of Shri Narata Ram, r/o Village Taruwala, Tehsil Paonta who died on 28-6-1986 at village Taruwala, Tehsil Paonta.

Notice is hereby given to the general public, kinsmen, relation and other interested persons to file objections, if any, to the grant of such Succession Certificate to the above named petitioners, before this court on or before 17-7-1987 at 10 A. M. at Nahan, failing which the application shall be heard and decided *ex parte*.

Given under my hand and seal of the court this 20th day of June, 1987.

Seal.

R. L. SHARMA,
Addl. District Judge
at Nahan, H.P.

ब अदालत श्री सीता राम शर्मा, सहायक समाहर्ता/तहसीलदार, कांगड़ा

ब मुकद्दमा तस्दीक इन्तकाल नम्बर 406 तबदील मलकियत जेर धारा 104 (3) भू-सुधार अधिनियम, 1972

वजीर पुत्र जफ़ू पुत्र गुरदयाल, निवासी मोहलड़ी, मौजा हटवास, जिला कांगड़ा

बनाम

बेद नाथ, जदूबंश, रघपत, हरबंस पुत्रान गोपाल दास, निवासी बड़सर, जिला हमीरपुर

हरगाह मुकद्दमा बाला में प्रत्याशीगण बेद नाथ आदि को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 406 तबदील मलकियत बाबत भूमि खाता नम्बर 159 मिन, खतौनी नम्बर 399, खसरा नम्बरान 326, किता 1, तादादी 0-01-12 बनाम वजीर महाल मोहलड़ी दर्ज है यदि उन्हें इस इन्तकाल के फैसला बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन तिथि 18-7-87 को इस अदालत में हाजर हो कर कर सकता है। बसूरत दीगर यक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जा कर फैसला इन्तकाल बहक प्रार्थी कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 6-6-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सीता राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कांगड़ा।

ब अदालत श्री सीता राम शर्मा, सहायक समाहर्ता/तहसीलदार, कांगड़ा

ब मुकद्दमा तसदीक इन्तकाल नम्बर 402 तबदील मलकियत जेर धारा 104 (3) भू-सुधार अधिनियम, 1972

जगतू पुत्र खजाना पुत्र पीजा, वासी मोहलड़ी, मौजा हटवास, जिला कांगड़ा

बनाम

बेद नाथ, जदूबंश, रघपत, हरबंस पुत्रान गोपाल दास, निवासी बड़सर, जिला हमीरपुर

हरगाह मुकद्दमा बाला में प्रत्याशीगण बेद नाथ आदि को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 402 तबदील मलकियत बाबत भूमि खाता नम्बर 159 मिन, खतौनी नम्बर 395, खसरा नम्बर 725 माजम 0-24-14 बनाम जगतू महाल मोहलड़ी दर्ज है। यदि उन्हें इस इन्तकाल के फैसला बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन तिथि 18-7-87 को इस अदालत में हाजर हो कर कर सकता है। बसूरत दीगर यक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जा कर फैसला इन्तकाल बहक प्रार्थी जगतू कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 6-6-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के जारी हुआ।

मोहर।

सीता राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा।

ब अदालत श्री सीता राम शर्मा, सहायक समाहर्ता/तहसीलदार, कांगड़ा

ब मुकद्दमा तस्दीक इन्तकाल नम्बर 265 तबदील मलकियत जेर धारा 104 (3) भू-सुधार अधिनियम, 1972.

पंजू पुत्र मोहणू, निवासी मुनेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

हंस राज, प्रकाश चन्द, हेम राज, कुलदीप चन्द पुत्रान बसन्त राम, सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरबंस लाल, निवासी धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

हरगाह मुकद्दमा बाला में प्रत्यार्थीगण हंस राज आदि को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 265 तबदील मलकियत बाबत भूमि खाता नम्बर 237 मिन, खतौनी नम्बर 44, खसरा नम्बरान 1229-1302-1332-1334, किता 4 बनाम पंज महाल मुनेहड़ दर्ज है, यदि उन्हें इस इन्तकाल के फैसला बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन तिथि 18-7-87 को इस अदालत में हाजर हो कर कर सकता है। बसूरत दीगर यक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जा कर फैसला इन्तकाल बहक प्रार्थी पंजू कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 6-6-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सीता राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा।

ब अदालत श्री सीता राम शर्मा, सहायक समाहर्ता/तहसीलदार, कांगड़ा

ब मुकद्दमा तस्दीक इन्तकाल नम्बर 232 तबदील मलकियत जेर धारा 104 (3) भू-सुधार अधिनियम, 1972

श्री महलू पुत्र मालू पुत्र मिनक, निवासी जसौर, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

सर्वश्रीमती लचो, अच्छी, श्यामां देवी, सत्या देवी पुत्री किरपा, शंकरो देवी, पुत्री दुर्गा, रोशन लाल, रूमी राम, भोनी राम पुत्र मसदी, स्लया, बसी चमार पुत्र घोघी, श्रीमती फूला देवी पत्नी ऊधो राम, साकन जसौर तहसील कांगड़ा।

हरगाह मुकद्दमा बाला में प्रत्यार्थीगण श्रीमती लचो आदि को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 232 तबदील मलकियत बाबत भूमि खाता नम्बर 127 मिन, खतौनी नम्बर 238, खसरा नम्बरान 53 का 224/240 भाग 0-04-82 बनाम महलू पुत्र मालू महाल, जसौर दर्ज है। यदि उन्हें इस इन्तकाल के फैसला बारे कोई एतराज हो तो यह असालतन या वकालतन तिथि 18-7-87 को इस अदालत में हाजिर हो कर कर सकता है। बसूरत दीगर यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जा कर फैसला इन्तकाल बहक प्रार्थी महलू कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 6-6-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सीता राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा।

ब अदालत श्री सीता राम शर्मा, सहायक समाहर्ता/तहसीलदार, कांगड़ा

ब मुकद्दमा तस्दीक इन्तकाल नम्बर 404 तबदील मलकियत जेर धारा 104 (3) भू-सुधार अधिनियम, 1972

नीक राम काहन पुत्र बजू निवासी ग्रोहलड़ी, मौजा हटवास, जिला कांगड़ा

बनाम

वेद नाथ, यदुबंश, रूपन, हरबस पुत्रान गोपाल दास, निवासी बरमर, जिला हमीरपुर

हरगाह मुकद्दमा उनवान बाला में प्रत्यार्थीगण वेद नाथ आदि को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 404 तबदील मलकियत बाबत भूमि खाता नम्बर 159 मिन, खतौनी नम्बर 397, खसरा नम्बर 329 मालम 0-00-66 बनाम नीक, महाल ग्रोहलड़ी दर्ज है। यदि उन्हें इस इन्तकाल के फैसला बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 18-7-87 को इस अदालत में हाजर हो कर कर सकता है। बसूरत दीगर यक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जा कर फैसला इन्तकाल बहक प्रार्थी नीक कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 6-6-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सीता राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा।

ब कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, भोरंज, जिला हमीरपुर

जोगिन्द्र चन्द बनाम आम जनता।

उनवान:—प्रार्थना-पत्र बराये पंजीकृत किये जाने वसीयत नामा मुतवफी श्री जयगोपाल पुत्र शंकर दास, गांव मन्बी, तप्पा मैवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

जेर धारा 40/41 इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908

नोटिस बनाम:—आम जनता

उपर्युक्त उनवान बाला के बारे में श्री जोगिन्द्र चन्द पुत्र उपर्युक्त मुतवफी ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता जयगोपाल मुतवफी ने वसीयत नामा दिनांक 17-5-1987 को तहरीर करवाया था उसे पंजीकृत किया जावे। इसलिए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस वसीयत के पंजीकृत होने में एतराज हो तो वह हमारे न्यायालय हजा में दिनांक 20-7-87 को प्रातः 10 बजे हाजिर आकर पेश करे। अन्यथा वसीयत नामा पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 8-6-87 को मेरे दस्तखत व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार भोरंज,
हमीरपुर।

कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, भोरंज, जिला हमीरपुर

करतार सिंह बनाम आम जनता।

उनवान:—प्रार्थना-पत्र बराए पंजीकृत किये जाने वसीयत नामा मुतवफी श्री रणजीत सिंह पुत्र ब्याली राम, गांव टिकरी मनहसा, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

जेर धारा 40/41 इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908।

नोटिस बनाम: आम जनता।

उपर्युक्त उनवान बाला के बारे में श्री करतार सिंह पुत्र मुतवफी

उपरोक्त ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके पिता ने दिनांक 11-5-1987 को वसीयत नामा तहरीर करवाया था उसे पंजीकृत किया जावे। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को इस वसीयत नामा के तहरीर होने में कोई एतराज हो तो वह हमारे न्यायालय हजा में असालतन या वकालतन दिनांक 21-7-1987 को प्रात: 10 बजे हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-6-1987 को मेरे दस्तखत व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार भोरंज,
हमीरपुर।

बअदालत श्री डी0 आर0 कौण्डल, सब-रजिस्ट्रार देहरा, जिला कांगड़ा

1. चेत राम, पुत्र, 2. कुबजा देवी विधवा, 3. दिशन कुमारी पुत्री श्री भूरू राम, वासी हिरन, मौजा कोहाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।

बनाम

1. राम प्यारी पुत्री, 2. कश्मीर सिंह पुत्र भूरू राम, 3. आम जनता, वासी हिरन, मौजा कोहाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा

मसूलअलयम।

विषय:—दरख्वास्त बराए रजिस्टर करने वसीयत जेर धारा 40/41 इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट मिनजानब भूरू राम पुत्र फिन्दर, वासी हिरन तहसील देहरा, जिला कांगड़ा।

प्रार्थीगण चेत राम आदि उपरोक्त ने दरख्वास्त पेश की है उनका पिता व शुमार नं0 2 का पति ने उनके नाम वसीयत जबानी की है। वह फौत हो चुका है अत: वसीयत रजिस्टर की जावे। अत: उपरोक्त मसूलअलयम व सर्व जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को वसीयत के रजिस्टर होने में कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस कार्यालय में दिनांक 22-7-1987 को प्रात: 10 बजे हाजिर आवे अन्यथा कार्यवाही महकमाना अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18, माह जून, 1987 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के जारी हुआ।

मोहर।

डी0 आर0 कौण्डल,
सब-रजिस्ट्रार,
देहरा, जिला कांगड़ा।

In the Court of Shri J. L. Chauhan, Sub-Judge Ist Class Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh

PROCLAMATION UNDER ORDER 5 RULE 20, C.P.C.

Case No. 109/1 of 1987

SUCCESSION ACT

1. Smt. Sampati w/o Shri Gopi Chand 2. Smt. Asrupi w/o Shri Moti Lal both r/o Rohal Tehsil Chirgaon, District Shimla, H. P. . . Plaintiff/Petitioner.

versus

General public.

To

The general Public.

Whereas the above named petitioner have filed an application in this court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession certificate in respect of the assests of late Shri Sudershan *alias* Darshan Dass s/o Shri An Dass, r/o village Rohal, Tehsil Chirgaon, District Shimla, H. P., who died on 12-1-1987.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public of the illaqua and the kins of the deceased to file objections, if any, to the grant of such succession certificate in this court on 30-7-87 at 10.00 A.M. personally or through pleader or any other authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court today on the 18th day of June, 1987.

Seal.

J. L. CHAUHAN,
Sub-Judge Ist Class, Rohru,
District Shimla, H.P.

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुन: प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

भाग-I

निर्वाचन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 22 जून, 1987

संख्या 4-11/86-ई0एन0एन0.—जैसाकि नगरपालिका नूरपुर के वार्ड नं0 3 में श्री जैशी राम सुपुत्र श्री चुहड़ राम के निर्वाचन को श्री धर्मपाल सुपुत्र श्री लाल चन्द, निवासी वार्ड नं0 3 नगरपालिका नूरपुर, जिला कांगड़ा, ने निर्वाचन याचिका द्वारा चुनौती दी थी तथा इस विभाग की अधिसूचना संख्या 4-2/75-इलैक-II, दिनांक 23 अगस्त, 1986 द्वारा कथित निर्वाचन याचिका में लगाये गये आरोपों की जांच के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कांगड़ा तथा चम्बा) धर्मशाला को आयोग नियुक्त किया था;

और जैसाकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 1987/4 अप्रैल, 1987 द्वारा श्री जैशी राम को उक्त नगरपालिका के निर्वाचन के दौरान भ्रष्ट आचरण करने के लिये दोषी ठहराया है;

अत: अब, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1970 के नियम 101 का अनुसरण करते हुये, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, श्री जैशी राम सुपुत्र श्री चुहड़ राम को नगरपालिका के निर्वाचन लड़ने के लिये इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित करते हैं।

शिमला-171002, 22 जून, 1987

संख्या 4-11/86-ई0 एन0 एन0.—जैसाकि नगरपालिका नूरपुर के वार्ड नं0 3 में श्री जैशी राम सुपुत्र श्री चुहड़ राम के निर्वाचन को श्री धर्मपाल सुपुत्र श्री लाल चन्द, निवासी वार्ड नं0 3, नगरपालिका नूरपुर, जिला कांगड़ा, ने निर्वाचन याचिका द्वारा चुनौती दी थी तथा इस विभाग की अधिसूचना संख्या 4-2/75 इलैक-II, दिनांक 23 अगस्त, 1986 द्वारा कथित निर्वाचन याचिका में लगाये गये आरोपों की जांच के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कांगड़ा तथा चम्बा) धर्मशाला को आयोग नियुक्त किया था;

और जैसाकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 1987 में यह निष्कर्ष दिया है कि उक्त निर्वाचन याचिका में लगाये गये आरोप सिद्ध हो गये हैं।

अत: अब, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 270 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, आयोग द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट स्वीकार करते हैं और सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री जैशी राम का नगरपालिका नूरपुर के वार्ड नं0 3 से निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तथा वादी श्री धर्मपाल को 250/-रुपये याचिका का खर्चा प्रतिवादी श्री जैशी राम द्वारा अदा किया जाएगा।

शान्त कुमार चौहान,
सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अप्रैल, 1987

संख्या सिंचाई 11-32/85-चम्बा.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: ग्राम कुई, तहसील भटियात, जिला चम्बा में वाटर सप्लाई स्कीम हाथी धार के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, चम्बा को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का खाका भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, चम्बा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला: चम्बा तहसील: भटियात

गांव	खसरा सं0	क्षेत्र बी0	वि0	बिस्वा0
1	2	3	4	5
कुई	40/1	0	1	0
कित्ता ..	1	0	1	0

आदेश द्वारा,
म0 कु0 महोपात,
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।